राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1609/2025 मुकेश कुमार माली, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।	27.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री वीरेन्द्र प्रजापत, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1831/2025 गीता भास्कर, एएनएम	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	31.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

समक्ष :– **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी गई और समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने अपने स्थानान्तरण होने से स्थानान्तरण के संबंध में इस आधार पर प्रार्थना की है कि स्थानान्तरण से उनको पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। अतः अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थीगण को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलों में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थीगण की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थीगण का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थीगण को देवें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य